SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बालश्रम की रोकथाम में महिला एवं बाल विकास की बाल विकास योजनाओं की भूमिका (छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में)

देहूती बंछोर, शोधार्थी, शिक्षा विभाग,
खालसा महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत
आर. पी. अग्रवाल, (Ph. D.), वाणिज्य विभाग,
कल्याण स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, भिलाई नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors
देहूती बंछोर, शोधार्थी, शिक्षा विभाग,
खालसा महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत
आर. पी. अग्रवाल, (Ph. D.), वाणिज्य विभाग,
कल्याण स्नातकोत्तर, महाविद्यालय,
भिलाई नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 31/07/2021
Revised on : -----
Accepted on : 07/08/2021
Plagiarism : 04% on 02/08/2021

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 4%

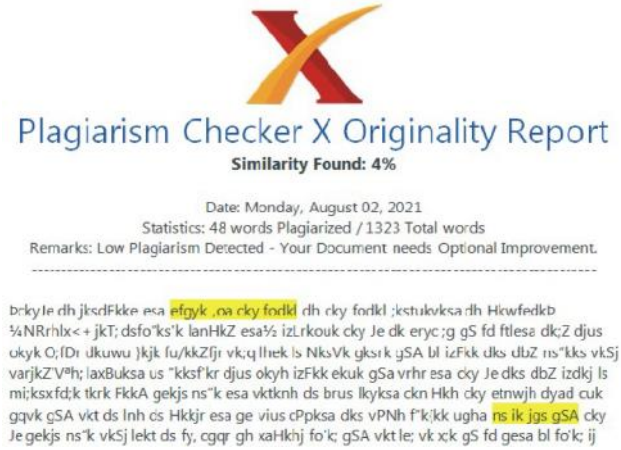

Date: Monday, August 02, 2021
Statistics: 48 words Plagiarized / 1323 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

bckyle dh jksdFkke esa efgyk ,oa cky fodkl dh cky fodkl ;kstukvksa dh Hkwfedk
¼NRrhlx< + jkT; dsfo"ks'k lanHkZ esa½ izLrkouk cky Je dk eryc ;g gS fd ftlesa dk;Z djus
okyk O;fDr dkuwu }kjk fu/kkZfjr vk;q lhek ls NksVk gksrk gSA bl izFkk dks dbZ ns"kks vkSj
varjkZ"Vªh; laxBuksa us "kksf'kr djus okyh izFkk ekuk gSa vrhr esa cky Je dks dbZ izdkj ls
mi;ksx fd;k tkrk FkkA gekjs ns"k esa vktknh ds brus lkyksa ckn Hkh cky etnwjh dyad cuk
gqvk gSA vkt ds lnh ds Hkkjr esa ge vius cPpksa dks vPNh f"k{kk ugha ns ik jgs gSA cky
Je gekjs ns"k vkSj lekt ds fy, cgqr gh xaHkhj fo'k; gSA vkt le; vk x;k gS fd gesa bl fo'k; ij

शोध सार

महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल विकास योजनाओं के माध्यम से बाल श्रम रोकथाम में मदद मिलता है एवं बालकों का समुचित विकास होता है। वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में कुपोषण के उच्चस्तर के दृष्टिगत सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित कर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल विकास योजना से बालकों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हो रहा है। महिला बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय और अन्य विभाग बालकों की स्थिति एवं कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है।

मुख्य शब्द

बालसुधार, बालकल्याणकारी योजना, कुपोषण, महिला एवं बाल विकास विभाग.

प्रस्तावना

बाल श्रम का मतलब यह है कि जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। इस प्रथा को कई देशो और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शोषित करने वाली प्रथा माना हैं। अतीत में बाल श्रम को कई प्रकार से उपयोग किया जाता था। हमारे देश में आजादी के इतने सालों बाद भी बाल मजदूरी कलंक बना हुआ है। आज के सदी के भारत में हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे है। बाल श्रम हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। आज समय आ गया है कि हमें इस विषय पर बात करने के साथ–साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारियाँ भी समझनी

होगी। बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना हमारे देश के लिए एक चुनौती बन गया है, क्योंकि बच्चों के माता–पिता ही बच्चों को कार्य करवाने लगे है। आज हमारे देश में किसी बच्चे को कठिन कार्य करते हुए देखना आम बात हो गई है। बाल मजदूरी को बड़े लोगों और माफियाओं ने व्यापार बना लिया है, जिसके कारण दिन–प्रतिदिन हमारे देश में बाल श्रम बढ़ता जा रहा है और बच्चों का बचपन खराब हो रहा है। इससे देश में गरीबी फैलती है व देश के विकास में बाधाएँ आती है।

बाल श्रम

साधारण शब्दों में बोला जाए तो जो बच्चा 14 वर्ष से कम आयु के होते है तो उनसे उनका बचपन खेल कूद, शिक्षा का अधिकार छीनकर उन्हें काम में लगाकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर कम रूपयों में काम करा कर उनके बचपन को श्रमिक रूप में बदल देना ही बालश्रम कहलाता है। बाल श्रम पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। भारतीय संविधान 1950 के 24 अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी, कारखानों, होटलों, ढाबे, घरेलु नौकर इत्यादि के रूप में कार्य करवाना बाल श्रम के अंतर्गत आता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना था। 30 जनवरी 2006 से इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है।

महिला एवं बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में यह मंत्रालय योजना, नीतियाँ तथा कार्यक्रम का निर्माण करता है, कानून को लागू करता है एवं उनमें सुधार लाता है। महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को दिशा–निर्देश देता हैं।

उद्देश्य

1. बाल विकास योजनाओं से बाल श्रमिकों की जीवन स्तर में सुधार करना।
2. बाल विकास योजनाओं के द्वारा बाल श्रमिक को उच्च शैक्षिक स्तर प्रदान करना।

प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कार्य के संपादन के लिए आवश्यकतानुसार द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों और सामाजिक पत्र–पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के माध्यम से ऑकड़े एकत्रित किये गये है।

परिकल्पना

1. बाल विकास योजनाओं से बाल श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
2. बाल विकास योजनाओं से बाल श्रमिक को उच्च शैक्षिक स्तर प्राप्त होगा।

1. मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना/बाल हृदय योजना

राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत् हर साल देश में दिल की बीमारी से लाखों बच्चों की मौत हो जाती है। गरीब बच्चों के इलाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ सरकार का एक स्कीम ऐसे बच्चों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। इसका नाम मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना है। मुख्य रूप से सर्जरी के लिए 1.30 लाख रूपये जटिल सर्जरी 1.5 लाख रूपये दिये जाते है। वॉल्व रिप्लेसमेंट की स्थिति में 1.80 लाख रूपये की मदद मिलती है।

2. बाल श्रवण योजना

मुख्यमंत्री श्रवण योजना मूक–बधिर बच्चों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। हालाकि इस योजना से सबसे ज्यादा लाभ रायपुर व दुर्ग जिले के लोगों को मिला है। बस्तर, बिलासपुर व सरगुजा संभाग के जिलों में गिने–चुने हितग्राहियों को लाभ मिला है। पिछले सात साल में रायपुर में 37 व दुर्ग जिले में 22 बच्चों को बोलने सुनने योग्य बनाया गया। दूसरी ओर कवर्धा, बीजापुर, बलरामपुर, सूरजपुर जिलों के एक बच्चों को लाभ नहीं मिला है। अब तक पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 105 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है।

प्रदेश में सरकार ने 2009 में बाल श्रवण योजना शुरू की थी। यह योजना मूक बधिर बच्चों के लिए है। इसमें प्रदेश सरकार बी.पी.एल. परिवार को 5.70 लाख व ए.पी.एल. परिवार को 3.50 लाख रूपये अनुदान देती है। इसके अलावा स्पीच थैरेपी कराने के लिए आने–जाने में होने वाले खर्च के लिए 30–30 हजार रूपये और दिया जाता है। गरीब बच्चों को फ्री में मशीन लग जाती है। वहीं ए.पी.एल. बच्चों के परिजनों को बाकी पैसा खुद देना होता है।

3. पोषण अभियान

पोषण अभियान का यह पहलू पोषण संबंधी जागरूक समाज बनाने की खातिर लोगों को सक्रिय करने के लिए कई स्तर पर काम करने का इशारा करता है। जरूरतमंदों और उनके परिवारों में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में सामुदायिक, कार्यक्रम, मास मिडिया, मल्टीमिडिया और अन्य स्तर पर लगातार प्रचार प्रसार करते है।

प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुन में पोषण अभियान की शुरूआत की। यह अभियान पोषण के लिए प्रधानमंत्री जी की बेहद अहम् योजना है। इस अभियान का मकसद तकनीक केन्द्रीय रवैये और समेकन के जरिये कुपोषण, रक्तहीनता और बच्चों के कम वजन की समस्या को दूर करने के लिए काम करना है। इस अभियान के चौतरफा प्रयास के तहत् सभी 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और जिलों को चरणबद्ध तरीके से इसके दायरे में लाया जाएगा।

4. स्वधार योजना

स्वाधार भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन पस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ 2001–02 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वैश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी भी कारण से बेघर, बेसहारों को सुधार गृह लाया जाता है। पीड़ित महिलाओं को शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है। कठिन परिस्थितियों में रह रही लड़कियों को आश्रम, वस्त्र, खाद्य, सलाह एवं कानूनी सलाह प्रदान करते है।

5. बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ

समाज में कन्या भ्रूण हत्या की कुरितियों को जड़ से खत्म करने व बेटियों को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के प्रयास के तहत् भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल के रूप में देश के 100 निम्न लिंगानुपात वाले जिलो में बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से प्रांरभ किया गया। वर्तमान में यह योजना पूरे भारतवर्ष में विस्तारित हो चुकी है।

योजनाओं की उपलब्धियाँ

क्र.	योजना का नाम	वर्ष एवं उपलब्धियाँ	
1	बाल संदर्भ योजना	2016–17 – 5148,	2017–18 – 30557
2	पूरक पोषण योजना	2016–17 – 95117,	2017–18 – 102051
3	मुख्यमंत्री अमृत योजना	2016–17 – 33275,	2017–18 – 37641

4	सबला पूरक पोषण आहार	2016–17 – 33171, 2017–18 – 34975
5	बाल श्रवण योजना	पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 105 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है।
6	बेटी बचाव – बेटी पढ़ाओ	2016–17 – 76% 2017–18 – 79%

(स्त्रोत : महिला बाल विकास विभाग, दुर्ग, छत्तीसगढ़)

निष्कर्ष

पिछले दो दशकों के अनुभव से पता चला है कि सबसे जरूरतमंदों को कई बार सुविधा होती है तो यह अधिकांशतः के लिए अनुपूरक की अपेक्षा प्रतिस्थापक का कार्य करती है। वर्तमान में केंद्रिय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में कुपोषण के उच्च स्तर के दृष्टिगत सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित कर रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ तालमेल से कुपोषण की समस्या से निजात हेतु व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बाल विकास योजनाओं से बालकों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर से सुधार आया है, जिसके परिणाम स्वरूप बाल श्रम की रोकथाम में सहायता प्राप्त हो रही है।

संदर्भ सूची

1. प्रशासकीय प्रतिवेदन।
2. वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17, 2017–18।
3. समाचार पत्रिकाएँ।
4. इंटरनेट वेबसाइट।
5. www.cgmahilabalvikash.com

****